प्रेस विज्ञप्ति **प्रकाशनार्थ**

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 मई,2025 । हेमन्त कटारे, उप नेता प्रतिपक्ष, म0प्र0 विधान सभा द्वारा निम्न दो ज्वलंत विषयों पर प्रेसवार्ता की गई।

मंत्री विजय शाह ने कहा कि " हमारी देश की जांबाज कर्नल को बताया आतंकवादियों की वहिन"

प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह द्वारा आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नितांत गैर जिम्मेदाराना वयान दिया जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवादियों कटे–फटौं को उनकी वहिन के माध्यम से ही ऐसी–तेसी करा दी। मेरे मत से देश की सुरक्षा से जुडे इस संवेदनशील विषय पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगभग 22 मिनट का वक्तव्य जारी कर देश की जनता एवं सेना का हौसला बढाया है। ऐसी स्थिति मंत्री विजय शाह द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय वक्तव्य देकर संपूर्ण महिला वर्ग एवं सैन्य अधिकारियों के मनोबल को गिराने की हिमाकत की है। जिसके लिये श्री कटारे ने भाजपा सरकार व पार्टी से मंत्री शाह को बर्खास्त कर कठोर कार्यवाही की मांग की है।

प्रदेश के खुरई में भाजपा विधायक के षडयंत्र का खुला गुण्डाराज

प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा विधायक व पूर्वमंत्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर व उनके परिवार द्वारा किये जा रहे अत्याचार के कई किस्से चर्चा में हैं। ग्राम बारधा, तहसील खुरई जिला सागर का नाबालिग 12 वर्षीय बच्चा मानस शुक्ला दिनांक 1.1.2025 को कथा सुनकर घर जा रहा था रास्ते में भूपेन्द्र सिंह के भतीजे लखन सिंह ठाकुर का क्रेशर है जो कि रोड पर अतिक्रमण कर हाई टेंशन विद्युत लाईन के नीचे संचालित है के पास के निकलने पर हाई टेंशन लाईन द्वारा खीच लेने से गंभीर रूप से घायल हुआ, बच्चे का एक हाथ पूरा कट गया व वह पूर्ण रूप से विकलांग हो गया। परिजन बच्चे को लेकर क्रेशर संचालक लखनसिंह व भूपेन्द्रसिंह जी यहॉ गये किन्तु उनके द्वारा न तो उचित उपचार कराया और न ही कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी एवं मानवता व शिष्टाचार से भेंट भी नहीं कर गांव छोडकर अन्यंत्र पलायन करने की धमकी दी। भूपेन्द्र सिंह के दबाव में स्थानीय स्तर पर पीडित परिवार की न तो रिपोर्ट लिखी गयी और न्याय नहीं मिला तब परिवार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से फरियाद करने पर आयोग द्वारा आरोपियों को दि. 23.3.25, 09.4.25, 23.04.25 एवं 01.05.25 को समन भेजकर बुलाया व भूपेन्द्र सिंह एवं लखनसिंह के विरूद्व कार्यवाही के निर्देश दिये किन्तु न तो आरोपी आयोग के समक्ष उपस्थित हुये और न ही प्रशासन द्वारा उनके विरूद्व कोई कार्यवाही की गयी। जब इस मानवीय प्रकरण को स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अंशुल परिहार द्वारा प्रेसवार्ता के माध्यम से उजागर कर न्याय दिलाने का प्रयास किया तब भूपेन्द्र सिंह द्वारा अंशुल के विरूद्व थाना खुरई में दि.30.04.2025 को अप.क्र.186/25 पुलिस पर दबाब डालकर पंजीबद्व कराया व अंशुल के पिता कैलाश परिहार के विरूद्व दि.03.05.25 को थाना खुरई में अप.क्र.192/25 म0प्र0नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत लगभग 15 वर्ष पूर्व विकसित कर विक्रय किये भू–खण्ड संबंधी संदिग्ध बनाये आरोपों पर प्रकरण पंजीबद्व कराकर राजीनामा हेतु दबाव बनाया गया है। इस प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में वरिष्ठ पदाधिकारी पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर के षडयंत्र का खुला राज चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार न्याय की सरकार है अतः इस तथ्य को चरितार्थ करने हेतु उन्हें भूपेन्द्र सिंह के विरूद्व कार्यवाही करायी जाकर शीघ्र न्याय दिलायी जाये। प्रकरण में पीडित नावालिक का पक्ष उसके स्वयं के द्वारा बताये वीडिये के रूप में संलग्न है।

—